भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2220
उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

झारखंड में मध्याह्न भोजन योजना

†2220. डॉ. निशिकान्त दुबे:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आबंटित और झारखंड राज्य द्वारा उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण भोजन परोसा गया है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा राज्य में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता में सुधार लाने और उसे बनाए रखने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क): पीएम पोषण, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में लागू की जाने वाली सबसे प्रमुख अधिकार आधारित केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से एक है, जिसके तहत 10.24 लाख सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के बालवाटिका (प्री-प्राइमरी कक्षा) और कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले 11.70 करोड़ बच्चों को सभी स्कूल कार्य दिवसों में एक बार गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। झारखंड राज्य द्वारा उपयोग की जाने वाली निधियां इस प्रकार है:-

(रु. लाख में)

	उपयोग		
झारखंड राज्य	2021-22	2022-23	2023-24
	56534.44	38118.49	36184.61

(ख) से (घ): पात्र बच्चों को गर्म पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने सहित योजना के सुचारू संचालन की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकार और केंद्र संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की है। भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के तहत अच्छी गुणवत्ता वाला भोजन परोसना सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये दिशानिर्देश आधिकारिक वेबसाइट https://pmposhan.education.gov.in पर उपलब्ध हैं। यह योजना विस्तृत निगरानी तंत्र प्रदान करती है अर्थात माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति, सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) की अध्यक्षता में कार्यक्रम

अनुमोदन बोर्ड (पीएबी), मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति, लोकसभा के सबसे वरिष्ठ संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति।

इन दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्कूलों को भोजन तैयार करने के लिए एगमार्क गुणवत्ता और ब्रांडेड वस्तुएं खरीदने, रसोइया-सह-सहायकों को प्रशिक्षण देने, बच्चों को परोसने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा भोजन चखने के निर्देश दिए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी जिलों में कम से कम 20 स्कूलों या स्कूलों के 2% में, जो भी प्रत्येक जिले के लिए अधिक हो, सामाजिक लेखा परीक्षा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, मध्याह्न भोजन नियमावली, 2015 में सरकारी खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला या विधि द्वारा प्रत्यायित या मान्यता प्राप्त किसी प्रयोगशाला द्वारा खाद्य नमूनों की अनिवार्य जांच का प्रावधान है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भोजन पोषण संबंधी मानकों और गुणवत्ता को पूरा करता है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है, जो किसी भी मामले में कम से कम उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) का होगा। भारतीय खाद्य निगम प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत कम से कम उचित औसत गुणवत्तायुक्त (एफएक्यू) खाद्यान्न की आपूर्ति में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक राज्य में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता है। जिला कलेक्टर/जिला पंचायत के सीईओ यह सुनिश्चित करते हैं कि कम से कम उचित गुणवत्तायुक्त (एफएक्यू) खाद्यान्न, एक टीम, जिसमें एफसीआई और कलेक्टर और/या जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत के नामिती शामिल हों, के द्वारा संयुक्त निरीक्षण के बाद उठाया जाए और उनके द्वारा पुष्टि की जाए कि अनाज कम से कम एफएक्यू मानदंडों के अनुरूप है। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से उनके होटल प्रबंधन संस्थानों और खाद्य शिल्प संस्थानों, एफएसएसएआई, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से पोषण, खाना पकाने की प्रक्रिया, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कच्चे अनाज और सब्जियों की तैयारी, व्यंजनों, परोसने के कौशल आदि पर रसोइयों-सह-सहायकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

*****